

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र० शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 241/246 / आउशि / योजना / 2019
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/03/2019

प्राचार्य,
शासकीय माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय,
बाबई, होशंगाबाद, म०प्र०

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत बी.काम.कम्प्यूटर एप्लीकेशन, द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम हेतु निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 127 दिनांक 14.3.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अंतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सत्र 2019-20 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्ववित्तीय आधार पर बी.काम.कम्प्यूटर एप्लीकेशन, द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम

नोट -


1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी / कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान / बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।


1. वर्ष 2019-20 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. एफ/331/1569/2007/2/38 दि. 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने / नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(x) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पू०क्रमांक 242/246 / आउशि / योजना / 2019
प्रतिलिपि:-

1. कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग भोपाल-होशंगाबाद संभाग, भोपाल ।
-----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


30.3.19
(डॉ. अनिल कुमार पाठक)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 30/03/2019


30.3.19
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र० शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

कमांक 239 / 222 / आउशि / योजना / 2019
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 / 03 / 2019

प्राचार्य,

शासकीय गृह विज्ञान पी.जी. महाविद्यालय,
होशंगाबाद, म०प्र०

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत एम.एस.सी.कम्प्यूटर साइंस, एम.एस.सी.प्राणीशास्त्र, एम.एस.सी.गणित, उत्तरार्द्ध पाठ्यक्रम हेतु निरन्तरता करने हेतु, अनापत्ति प्रदान करने बावत् ।
संदर्भ:- आपका पत्र कमांक ई-मेल.

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अंतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थाई रूप से सत्र 2019-20 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्ववित्तीय आधार पर एम.एस.सी.कम्प्यूटर साइंस, उत्तरार्द्ध, एम.एस.सी.प्राणीशास्त्र उत्तरार्द्ध, एवं एम.एस.सी. गणित, उत्तरार्द्ध

नोट -


1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी / कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान / बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।


1. वर्ष 2019-20 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क. एफ/331/1569/2007/2/38 दि. 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने / नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पू०कमांक 240 / 222 / आउशि / योजना / 2019
प्रतिलिपि:-

1. कुलसचिव, बरकतउल्ला. विश्वविद्यालय, भोपाल, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग भोपाल-होशंगाबाद संभाग, भोपाल ।
----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


30.3.19
(डॉ. अनिल कुमार पाठक)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 30 / 03 / 2019


30.3.19
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र० शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

कमांक 237/245 / आउशि / योजना / 2019

भोपाल, दिनांक 30 / 03 / 2019

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय कन्या पी.जी. महाविद्यालय,
विदिशा, म०प्र०

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत बी.ए.कम्प्यूटर एप्लीकेशन, द्वितीय वर्ष, (अतिरिक्त विषय) पाठ्यक्रम हेतु निरन्तरता करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बावत् ।

संदर्भ:- आपका पत्र कमांक 624 दिनांक 15.3.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अंतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थाई रूप से सत्र 2019-20 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्ववित्तीय आधार पर बी.ए.कम्प्यूटर एप्लीकेशन(अतिरिक्त विषय) द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम

नोट -


1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी / कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान / बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।


1. वर्ष 2019-20 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क. एफ/331/1569/2007/2/38 दि. 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने / नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

238/245
प०कमांक / / आउशि / योजना / 2019
प्रतिलिपि:-

1. कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग भोपाल-होशंगाबाद संभाग, भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


30.3.19
(डॉ. अनिल कुमार पाठक)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 30 / 03 / 2019


30.3.19
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,म0प्र0 शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 233/243/आउशि/योजना/2019
प्रति,

भोपाल,दिनांक 30/03/2019

प्राचार्य,
शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
भोपाल,म0प्र0

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत बी.काम.आनर्स,द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम हेतु निरन्तरता करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 449 दिनांक 14.3.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अंतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सत्र 2019-20 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्ववित्तीय आधार पर बी.काम.आनर्स,द्वितीय वर्ष,पाठ्यक्रम

नोट -


1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्यता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाये ।
6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।


1. वर्ष 2019-20 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. एफ/331/1569/2007/2/38 दि. 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा,जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृ0क्रमांक 234/243/आउशि/योजना/2019
प्रतिलिपि:-

1. कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल,म0प्र0की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,संभाग भोपाल-होशंगाबाद संभाग,भोपाल ।
-----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


30.3.19
(डॉ.अनिल कुमार पाठक)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
भोपाल,दिनांक 30/03/2019


30.3.19
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

कमांक 243 /72/आउशि/योजना/2019
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 /03/2019

प्राचार्य,

शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया आदर्श विज्ञान महाविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत एम.एस.सी. (उत्तरार्द्ध) फूडटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम हेतु, निरन्तरता हेतु
अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक/4145/2019 दिनांक 20.3.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अंतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थाई रूप से सत्र 2019-20 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


स्ववित्तीय आधार पर एम.एस.सी. (उत्तरार्द्ध) फूडटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम

नोट -

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।

1. वर्ष 2019-20 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएँ प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क. एफ/331/1569/2007/2/38 दि. 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


30.3.19

(डॉ. अनिल कुमार पाठक)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 30/03/2019

पृ०कमांक 244 /72/आउशि/योजना/2019
प्रतिलिपि:-

1. कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म०प्र०की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
-----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


30.3.19

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,म0प्र0 शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 235/244/आउशि/योजना/2019
प्रति,

भोपाल,दिनांक 30/03/2019

प्राचार्य,
शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय,
भोपाल,म0प्र0

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत बी.एस.सी.(भाग-2) (भौतिक,गणित, अर्थशास्त्र,अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम हेतु निरन्तरता करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बावत् ।
संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक ई-मेल.

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अंतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सत्र 2019-20 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


स्ववित्तीय आधार पर बी.एस.सी.(भाग-2)(भौतिक,गणित,अर्थशास्त्र,अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम

नोट -

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्यता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि मृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।

1. वर्ष 2019-20 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. एफ/331/1569/2007/2/38 दि. 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा,जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।


(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


(डॉ.अनिल कुमार पाठक)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 30/03/2019

पू0क्रमांक 236/244/आउशि/योजना/2019
प्रतिलिपि:-

1. कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल,म0प्र0की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,संभाग भोपाल-होशंगाबाद संभाग,भोपाल ।
-----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश